अनुदान संख्या 6 – रसायन और पेट्रो–रसायन विभाग
GRANT No. 6–DEPARTMENT OF CHEMICALS AND PETRO-CHEMICALS

				कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
						(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्व:	**Revenue:**					
स्वीक त-	Voted–					
मूल	Original	296,80,00		303,92,00	263,50,71	–40,41,29
पूरक	Supplementary	7,12,00				
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year					40,12,80
पूंजीगत:	**Capital:**					
स्वीक त-	Voted–			50,20,00	40,16,00	–10,04,00
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year					10,04,00

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग में, कुल बचतें (4041.29 लाख रु.) अक्तूबर, 2008 और फरवरी, 2009 में प्राप्त किए गए 712.00 लाख रु. के पूरक अनुदान से अधिक हो गईं और यह कुल स्वीकृत प्रावधान का 13 प्रतिशत थीं।

बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ:-

Notes and comments

1. In the revenue section of the grant, the overall savings (Rs.4041.29 lakhs) exceeded the supplementary grants of Rs.712.00 lakhs obtained in October, 2008 and February, 2009 and constituted 13 percent of the total sanctioned provision.

Savings/excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष "3451'' सचिवालय - आर्थिक सेवाएं	Major Head "3451" Secretariat – Economic Services				
मू.	O.	1266.00			
पू.	S.	250.00	1428.67	1428.13	–0.54
पु.	R.	–87.33			

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष ''2552'' उत्तर पूर्वी क्षेत्र	Major Head "2552" North Eastern Areas				
मू.	O.	2950.00	. .	. .	. .
पु.	R.	–2950.00			
मुख्य शीर्ष ''2852'' उद्योग	Major Head "2852" Industries				
मू.	O.	25464.00	24950.53	24922.58	–27.95
पू.	S.	462.00			
पु.	R.	–975.47			

(I) 2950.00 लाख रु. का प्रावधान मुख्य शीर्ष ''2552'' - ''पेट्रो-रसायन उद्योग - (अन्य व्यय) - असम गैस क्रेकर परिसर को सहायता'' के अंतर्गत पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण एक मामले में पूर्णतया अप्रयुक्त रहा।

(I) Provision of Rs.2950.00 lakhs remained wholly unutilised in one case under Major Head "2552" - "Petrochemicals Industries – (Other Expenditure) – Subsidy to Assam Gas Cracker Complex" – due to re-appropriation of funds to functional heads for utilisation on schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

(II) मुख्य शीर्ष ''2852'' - ''रसायन और पेट्रो-रसायन उद्योग'' के अंतर्गत प्राप्त किया गया पूरक अनुदान निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत प्रत्येक के सामने दर्शाए गए अनुसार पूर्णतया अप्रयुक्त रहा:-

(II) Supplementary grant obtained under Major Head "2852" – "Chemicals and Pharmaceuticals Industries" – remained wholly unutilised under the following heads as shown against each:-

(का) ''रसायन और कीटनाशक - भोपाल गैस रिसाव त्रासदी विपदा (दावा कार्यवाही) अधिनियम, 1985'' - 861.00 लाख रु. के मूल प्रावधान को 80.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बध़कर 941.00 लाख रु. कर दिया गया। तथापि, 332.58 लाख रु. की बचत (पूरक अनुदान सहित) भोपाल गैस रिसाव त्रासदी पीड़ितों से कम दावे प्राप्त होने और विनिमय दर में घट-बढ़ होने की वजह से आवंटन में कमी होने के कारण हुई।

(A) "Chemicals and Pesticides – Bhopal Gas Leak Disaster (Processing of Claims) Act, 1985" – the original provision of Rs.861.00 lakhs was augmented to Rs.941.00 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.80.00 lakhs. However, there was a saving of Rs.332.58 lakhs (including supplementary grant) - due to receipt of less claims from Bhopal Gas Leak disaster victims and reduction in allocation owing to exchange rate variation.

(खा) ''दवा एवं औषध निर्माण -

(क) ''राष्ट्रीय औषध निर्माण शिक्षा और अनुसंधान संस्थान'' - 9000.00 लाख रु. के मूल प्रावधान को 202.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 9202.00 लाख रु. कर दिया गया। तथापि, 617.00 लाख रु. की बचत (पूरक अनुदान सहित) नए संस्थानों से प्रस्तावों के प्राप्त न होने के कारण हुई।

(ख) ''राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण'' - 1897.00 लाख रु. के मूल प्रावधान को 59.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 1956.00 लाख रु. कर दिया गया। तथापि, 1398.77 लाख रु. की बचत (पूरक अनुदान सहित) स्टाफ कार, टेलीफोन, व्यावसायिक सेवाओं के लिए कम निधियों की आवश्यकता होने और किफायती उपाय किए जाने के कारण हुई।

(III) मुख्य शीर्ष ''3451'' - ''सचिवालय - रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग'' के अंतर्गत 1266.00 लाख रु. के मूल प्रावधान को 250.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 1516.00 लाख रु. कर दिया गया जो, तथापि, जो आई टी संबंधी प्रक्रिया को समय पर पूरा न किए जाने के कारण 87.87 लाख रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(IV) मुख्य शीर्ष ''2852'' - ''रसायन और औषध निर्माण उद्योग - दवा और औषध निर्माण - औषध निर्माण निर्यात संवर्धन स्कीम'' के अंतर्गत 2734.15 लाख रु. की बचत (3800.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) प्रक्रियात्मक औपचारिकताओं को अंतिम रूप न दिए जाने की वजह से फार्मा की नई स्कीमों को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण हुई।

2.(I) उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (814.00 लाख रु.) प्रयुक्त हो गईं जैसा कि मुख्य शीर्ष ''2852'' - ''रसायन और औषध निर्माण उद्योग - दवा और औषध निर्माण'' के अंतर्गत निम्नलिखित

(B) "Drugs and Pharmaceuticals" -

(a) "National Institute of Pharmaceuticals Education & Research" – the original provision of Rs.9000.00 lakhs was augmented to Rs.9202.00 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.202.00 lakhs. However, there was a saving of Rs.617.00 lakhs (including supplementary grant) - due to non-receipt of proposals from any new Institutes.

(b) "National Pharmaceuticals Pricing Authority (NPPA)" - the original provision of Rs.1897.00 lakhs was augmented to Rs.1956.00 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.59.00 lakhs. However, there was a saving of Rs.1398.77 lakhs (including supplementary grant) - due to requirement of less funds towards staff cars, telephone, professional services and economy measures.

(III) Under Major Head "3451" - "Secretariat - Department of Chemicals and Petrochemicals" – the original provision of Rs.1266.00 lakhs was augmented to Rs.1516.00 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.250.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of Rs.87.87 lakhs - due to non-completion of IT related process in time.

(IV) Under Major Head "2852" - "Chemicals and Pharmaceuticals Industries – Drugs and Pharmaceuticals - Pharmaceutical Export Promotion Scheme" - saving of Rs.2734.15 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.3800.00 lakhs) was due to non-finalization of new schemes of Pharma owing to non-finalization of procedural formalities.

2.(I) The above savings were partly (Rs.814.00 lakhs) utilised for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining token supplementary grant of Rs.1.00 lakh under Major Head "2852" –

शीर्षों के अंतर्गत 1.00 लाख रु. का सांकेतिक पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था:-

(का) ''इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड'' - 200.00 लाख रु.।

(खा) ''हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड'' - 614.00 लाख रु.।

(II) बचतें मुख्य शीर्ष ''2852'' के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत भी प्रतिसंतुलित हो गईं:-

(का) ''पेट्रो-रसायन उद्योग - अन्य व्यय'' -

(क) ''केंद्रीय प्लास्टिक इंजीनियरी और प्रौद्योगिकी संस्थान'' - 117.00 लाख रु. का अधिक व्यय (94.00 लाख रु. के पूरक अनुदान सहित 2044.00 लाख रु. के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की रिपोर्ट लागू किए जाने के कारण हुआ।

(ख) ''असम गैस क्रेकर परिसर को आर्थिक सहायता'' - 2949.00 लाख रु. का अधिक व्यय (7051.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित स्कीम पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग मुख्य शीर्ष ''2552'' से कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण हुआ।

(खा) ''रसायन और औषध निर्माण उद्योग - रसायन और कीटनाशक - रसायन संवर्धन और विकास स्कीम'' - 171.86 लाख रु. का अधिक व्यय (200.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुंबई में अनुसंधान और विकास संगोष्ठी आयोजित किए जाने और 33 जन औषधि भंडार खोले जाने के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

3. अनुदान के पूंजीगत भाग में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत हुईं/हुआ:-

"Chemicals and Pharmaceuticals Industries – Drugs and Pharmaceuticals" – under the following heads:-

(A) "Indian Drugs & Pharmaceuticals Ltd. (IDPL)" - Rs.200.00 lakhs.

(B) "Hindustan Antibiotics Ltd." – Rs.614.00 lakhs.

(II) Savings were also offset by excess under Major Head "2852" – under the following heads:-

(A) "Petrochemical Industries - Other Expenditure" -

(a) "Central Institute of Plastics Engineering and Technology (CIPET)" – excess of Rs.117.00 lakhs (against the total sanctioned provision of Rs.2044.00 lakhs including supplementary grant of Rs.94.00 lakhs) was due to implementation of 6th Central Pay Commission Report.

(b) "Subsidy to Assam Gas Cracker Complex" - excess of Rs.2949.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.7051.00 lakhs) was due to re- appropriation of funds from the Major Head "2552" to functional heads for utilization on schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

(B) "Chemicals and Pharmaceuticals Industries – Chemicals and Pesticides - Chemical Promotion and Development Scheme" - excess of Rs.171.86 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.200.00 lakhs) was due to requirement of additional funds for organizing R&D seminar in Mumbai and opening of 33 Jan Aushadhi stores.

3. In the capital section of the grant, savings/ excess occurred under the following major head:-

				कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
						(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
शीर्ष	Head					
मुख्य शीर्ष ''6857'' रसायन तथा औषध निर्माण उद्योगों के लिए कर्ज	Major Head "6857" Loans for Chemical and Pharmaceutical Industries					
मू.	O.	3570.00		2556.00	2556.00	. .
पु.	R.	–1014.00				

(I) 253.00 लाख रु. का प्रावधान चार शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; इनमें से 250.00 लाख रु. अकेले ''रसायन और कीटनाशक उद्योग - सार्वजनिक क्षेत्र के और अन्य उपक्रमों को कर्ज - हिन्दुस्तान इन्सेक्टीसाइड्स लिमिटेड'' के अंतर्गत परिसम्पत्तियों का पुनर्निर्धारण किए जाने के कारण लेखाबद्ध किए गए।

(I) Provision of Rs.253.00 lakhs remained wholly unutilised under four heads; of these Rs.250.00 lakhs alone accounted for under "Chemicals and Pesticides Industries- Loans to Public Sector and Other Undertakings – Hindustan Insecticides Limited" - due to reassessment of assets.

(II) ''दवा और औषध निर्माण अद्योग - सार्वजनिक क्षेत्र के और अन्य उपक्रमों को कर्ज - बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड'' के अंतर्गत 1001.00 लाख रु. की बचत (3001.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पुनर्वास कार्य की प्रगति का ब्योरेवार मूल्यांकन किए जाने की वजह से संशोधित अनुमान चरण पर प्रावधान में कमी किए जाने के कारण हुई।

(II) Under "Drugs and Pharmaceutical Industries – Loans to Public Sector and Other Undertakings – Bengal Chemicals and Pharmaceuticals Limited" – saving of Rs.1001.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.3001.00 lakhs) was due to reduction of provision at revised estimates stage owing to detailed evaluation of the progress of the rehabilitation work.

4. उपर्युक्त बचतें ''दवा और औषध निर्माण उद्योग - सार्वजनिक क्षेत्र के और अन्य उपक्रमों को कर्ज - बंगाल इम्यूनिटी लिमिटेड'' के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित हो गईं - 199.00 लाख रु. का अधिक व्यय (1.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) परिसम्पत्तियों की प्रतिभूति के लिए अदायगी किए जाने के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

4. The above savings were partly offset by excess under - "Drugs and Pharmaceutical Industries – Loans to Public Sector and Other Undertakings – Bengal Immunity Limited" – excess of Rs.199.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1.00 lakh) was due to requirement of additional funds to make payments for security of assets.